Promotions of Physiotherapists

1927. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the details of action Government have taken to provide time bound promotion to Physiotherapists and Occupational Therapists working in Delhi based Government Hospitals and C.G.H.S. on the pattern of Group 'A' officer of Health Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA): There is no such proposal under consideration to provide time bound promotion to Physiotherapists and Occupational Therapiscts Working in Delhi based Government Hospitals and C.G.H.S.?

गुजरात में परिवार नियोजन कार्यक्रम

1928. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार किन-किन क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इस कार्यक्रम के अधीन किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को गुजरात सहित संपूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम में जन्म-दरों और नवजात-शिशु, शिशु और मातृ मृत्यु दरों में कमी लाने का प्रयास किया गया है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गर्भ निरोधक और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/जिला परिवार कल्याण कार्यालयों, ग्रामीण, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों, प्रसवोत्तर केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेन्द्रों आदि के रूप में एक विस्तृत आधारभूत ढांचे की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर जन्मदर को 1951 में प्रति हजार जनसंख्या पर 41.7 के स्तर से कम करके प्रति हजार जनसंख्या पर 29.9 (1990 : अनन्तिम) कर दिया गया है. शिशु-मृत्यु दर को 1951 में 146 प्रति हजार जीवित जन्मों के स्तर से कम करके 80 प्रति हजार जीवित जन्म तक नीचे लाया गया है और दम्पत्ती सुरक्षा दर 1970-71 में .104% के स्तर से बढ कर 44.1% (31-3-1991) हो गई है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दर्ज किए गए मामले

2919. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया है और सजा दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया उनमें से कुछ को या तो छोड़ दिया गया है अथवा उनके खिलाफ मामलों को वापस ले लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या यह सच है कि 1989 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कम थी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना अनुपत्र में दर्शाई गई है ।

[देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र सं० 48]

(ग) और (घ) खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उल्लंघन करने के दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया गया है अथवा दोषी व्यक्तियों को प्रत्येक मामले के गुण और परिस्थितियों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है ।

(ङ) वर्ष 1986 से 1989 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या से संबंधित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	जांच किए गए नमूनों की सं०
1986	1,21,969
1987	1,31,391
1988	1,30,390
1989	1,21,906

वर्ष 1989 के लिए सूचना, चार राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र, नामत: हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और जम्मू व कश्मीर (कश्मीर प्रभाग), के स्पष्टीकरणों/सूचना के अभाव में अपूर्ण है । अत: पिछले वर्षों से 1989 के आंकड़ों की तुलना करना उपयुक्त नहीं है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वास्थ्य योजनायें

1930. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के स्वास्थ्य संबंधी कौन-कौन सी योजनायें उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर एवं मऊ जिलों में लागू की गई एवं उनके प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग लक्ष्य क्या थे ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कहां तक लक्ष्य की प्राप्ति की गई और उस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के संबंध आठवीं योजना में कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है, और उसके योजनावार लक्ष्य क्या-क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तरादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) आजमगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्कीम के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप-योजना व विशेष घटक योजना के अंतर्गत आवंटन किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों से संबंधित योजनाओं के लिए निम्नलिखित आवंटन किए गये थे :—

जनजाति उप-योजना	विशेष घटक योजना
172.26 लाख रुपए	1026.79 लाख रुपए

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।